

**कार्यालय अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर
शिवाजी वार्ड, तिली रोड़, सागर (म.प्र.)**



फोन नं. 07582-236270

फैक्स नं. 07582-236457

कमांक 850 / पैरामे. / बी.एम.सी. / 2025

सागर, दिनांक 21 / 01 / 2025

आवेदन की प्रारंभ तिथि 23 / 01 / 2025

आवेदन की अंतिम दिनांक:-02 / 02 / 2025

त्रुटि सुधार की तिथि 30 / 01 / 2025 से 03 / 02 / 2025 तक

काउन्सिलिंग प्रारम्भ तथि 10 / 02 / 2025

// पैरामेडिकल विज्ञप्ति सह नियमावली //

रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद भोपाल का आदेश पृ0क0 / एफ-1453 / कॉलेज / A23G0235 / 98 / 2025 भोपाल, दिनांक 15 / 01 / 2025 द्वारा राज्य शासन के अनुमोदन उपरांत स्वाशासी समिति बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर के अंतर्गत सत्र 2023-2024 के लिए विभिन्न पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों स्ववित्तीय (Self finance) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नानुसार आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:-

(सारिणी कमांक-01)

S.No.	Department	Course	Total No. of Seats	For in Service Candidates 10%				OPEN				
				UR	ST	SC	OBC	UR	ST	SC	OBC	EWS 10%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PATHOLOGY	DIPLOMA MEDICAL LAB TECHNICIAN	50	1+1(F)	1	1	1	13+6(F)+2(PH)	6+3(F)	5+2(F)	4+2(F)	1+1(F)
				TOTAL-05				TOTAL-45				
2	OPHTHALMOLOGY	DIPLOMA PARAMEDICAL OPHTHALMIC ASSISTANT	10	1	0	0	0	3+2(F)	1+1(F)	1	1	0
				TOTAL-01				TOTAL-09				
3	RADIO DIAGNOSIS	X RAY RADIOGRAPHER TECHNICIAN	30	1+1(F)	1	0	0	8+4(F)+1(PH)	3+2(F)	3+1(F)	3+1(F)	1
				TOTAL-03				TOTAL-27				
4	MEDICINE	DIPLOMA DIALYSIS TECHNICIAN	10	1	0	0	0	3+2(F)	1+1(F)	1	1	0
				TOTAL-01				TOTAL-09				
5	ANAESTHESIA	DIPLOMA ANAESTHESIA TECHNICIAN	10	1	0	0	0	3+2(F)	1+1(F)	1	1	0
				TOTAL-01				TOTAL-09				
6	ORTHO	CERTIFICATE ORTHO TECHNICIAN	10	1	0	0	0	3+2(F)	1+1(F)	1	1	0
				TOTAL-01				TOTAL-09				
7	SURGERY	CERTIFICATE O.T.TECHNICIAN	30	1+1(F)	1	0	0	8+4(F)+1(PH)	3+2(F)	3+1(F)	3+1(F)	1
				TOTAL-03				TOTAL-27				
8	MEDICIN	CERTIFICATE ECG TECHNICIAN	10	1	0	0	0	3+2(F)	1+1(F)	1	1	0
				TOTAL-01				TOTAL-09				
9	PSM	CERTIFICATE HEALTH INSPECTOR	10	1	0	0	0	3+2(F)	1+1(F)	1	1	0
				TOTAL-01				TOTAL-09				
10	T B & Chest	CERTIFICATE RESPIRATORY TECHNICIAN	10	1	0	0	0	3+2(F)	1+1(F)	1	1	0
				TOTAL-01				TOTAL-09				
Total Seats			180									

नोट:-1. उपरोक्त दर्शायी गई सीटों में कमी एवं वृद्धि हो सकती है एवं सभी श्रेणी के उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी

(यूआर) के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं।

1. उपरोक्त सभी पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटों पर शासन के नियमों के अनुसार विभागीय नियमित कर्मचारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, (EWS) , के छात्रों को आरक्षण दिया गया है तथा इन सभी श्रेणियों में महिलाओं तथा दिव्यांगजानों का द्वैतिज आरक्षण भी उक्त प्रत्येक संवर्ग में म.प्र. शासन के नियमानुसार लागू होगा। दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी विकलांगता प्रमाण पत्र जिसमें की विकलांगता प्रतिशत स्पष्ट दर्शाया गया हो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अस्थि बाधित	अस्थि बाधित 45% से 50% शरीर की निचले हिस्से की विकलांगता मान्य है।
-------------	--

पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विवरण पुस्तिका एवं आवेदन पत्र mponline के माध्यम से कर सकते हैं।

2. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग में कार्यरत पात्र पैरामेडिकल विभागीय कर्मचारियों के लिये शासन के नियमानुसार 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी जिन पर नियमानुसार आरक्षण का पालन किया जावेगा। विभागीय कर्मचारियों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी एवं संचालक स्वास्थ्य सेवाये म.प्र. भोपाल/संबंधित संस्था के प्रमुख का ही मान्य होगा। विभागीय कर्मचारी न होने पर उन्हें आरक्षित सीटें संबंधित वर्ग के ओपन उम्मीदवारों से भरी जायेंगी। विभागीय कर्मचारियों को पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय कार्यमुक्त प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा है।
3. जिस पाठ्यक्रम में पांच से कम छात्र प्रवेश लेते हैं। ऐसे पाठ्यक्रमों को संचालित कराना संभव नहीं होगा। ऐसे छात्र अपनी जमा शुल्क वापस ले सकते हैं अथवा अन्य पाठ्यक्रम के रिक्त सीट में मेरिट के आधार पर प्रवेश ले सकते हैं।
4. आवेदन-पत्र के साथ अनारक्षित वर्ग (OBC- CREAMY LAYEAR /UR) के अभ्यर्थियों को रुपये 600/- (अंकन छह सौ रुपये मात्र) तथा आरक्षित वर्ग (OBC- NON CREAMY LAYEAR / SC/ST) के अभ्यर्थियों को रुपये 300/- (अंकन तीन सौ रुपये मात्र) का ऑन लाईन पेमेन्ट करना होगा। साथ ही एम.पी. ऑन लाईन का पोर्टल शुल्क 200/- (अंकन दो सौ रुपये मात्र) आवेदन की राशि किसी भी हालत में वापस नहीं होगी। आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार के लिये तीन दिवस दिये जायेंगे जिसका पोर्टल चार्ज 50/- (अंकन पचास रुपये मात्र) रुपये अतिरिक्त देना होगा।
5. सभी पाठ्यक्रमों के लिये एक ही आवेदन-पत्र जिसका प्रारूप दिया गया है, देय होगा।(प्रारूप क्रमांक-01) पाठ्यक्रमों का आवंटन आवेदक के हायर सेकेण्ड्री (10+2) के मेरिट के अनुसार वर्ग में उपलब्ध सीटों पर ऑनलाईन आवेदन के द्वारा किया जावेगा। ऑनलाईन आवेदन के पश्चात एम.पी.ऑनलाईन के द्वारा मेरिट सूची प्रदर्शित की जायेगी जोकि महाविद्यालय की वेबसाईड www.bmcsgagar.edu.in पर भी उपलब्ध रहेगी।
6. शैक्षणिक योग्यता:-छात्र को बारहवी परीक्षा 10+2 पद्धति से हायर सेकेण्ड्री भौतिकी, रसायन जीव विज्ञान विषय के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण अनिवार्य है। उक्त सभी कोर्स हेतु अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार को न्यूनतम 40 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिये 33 प्रतिशत अंक अनिवार्य होगा।
7. आवेदक की आयु: प्रवेश हेतु आवेदक की आयु विज्ञापन की तिथि (23/01/2025)को 17 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
8. प्रवीण्य सूची: प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा के उपरांत, न्यूनतम अर्हकारी परीक्षा अर्थात् भौतिकी, रसायन और जीवविज्ञान में यदि लागू हो, हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा में अर्जित अंकों के अनुसार एक मेरिट सूची

तैयार की जाएगी। संस्थान में प्रवेश इसी मेरिट सूची के आधार पर दिया जाएगा:

परन्तु किसी पाठ्यक्रम के लिए विहित न्यूनतम अर्हता के आधार पर तैयार मेरिट सूची में अंकों की समानता की दशा में-

- (क) मध्यप्रदेश के मूल निवासी एवं कमशः स्थानीय जिले के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- (ख) मेरिट अंक समान होने पर 12वीं में बायलॉजी में अधिक अंक वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।
- (ग) ऐसे अभ्यर्थी जिनके मेरिट अंक तथा बायलॉजी में समान अंक प्राप्त होने पर अधिक आयु वाले आवेदक को वरीयता दी जाएगी।
- (घ) मध्यप्रदेश के निवासियों को पाठ्यक्रम में प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी तत्पश्चात् ही सीटे रिक्त होने पर मध्यप्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों के पाठ्यक्रम प्रवेश पर विचार किया जाएगा जो कि अनारक्षित वर्ग में हो सकेगा।

9. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को स्कूटनी डॉक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन के समय सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. काउंसिलिंग प्रारंभ होने की तारीख महाविद्यालय की वेबसाईड www.bmcSagar.edu.in पर प्रदर्शित की जाएगी।
11. प्रशिक्षण शुल्क का विवरण:-

(सारिणी क्रमांक-02)

क्र.	पाठ्यक्रम	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष
01	02 वर्षीय डिप्लोमा	56,460 (रु 51,460/- शैक्षणिक शुल्क+रु. 5,000/- सुरक्षा निधि)	रु. 51,460/-
02	01 वर्षीय प्रमाण पत्र	42,160/- (रु 37,160/- शैक्षणिक शुल्क +रु. 5,000/- सुरक्षा निधि)	
03	विविध शुल्क-मनोरंजन शुल्क/आंतरिक मूल्यांकन शुल्क/प्रयोगशाला शुल्क	1000/-	
04	विश्वविद्यालय शुल्क	As per University Rules	

उक्त पैरामेट्रिकल पाठ्यक्रम पूर्णतः स्ववित्तीय पाठ्यक्रम है जिसमें प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को शासन द्वारा संचालित ग्रीन कार्ड सुविधा का लाभ नहीं दिया जावेगा।

12. सुरक्षा निधि 5000/- (अंकन पांच हजार रुपये मात्र) प्रवेश के समय जमा करना अनिवार्य होगा। छात्र के द्वारा महाविद्यालय की किसी भी संपत्ति को हानि पहुंचाने पर उक्त सुरक्षा निधि में से वास्तविक राशि काटली जावेगी एवं छात्र को अध्ययन के दौरान 5000/- (अंकन पांच हजार रुपये मात्र) सुरक्षा निधि शेष राशि बनाकर रखना होगा।
13. उम्मीदवारों को स्कूटनी में उपस्थिति दर्ज कराते समय रुपये 1,000/- (अंकन एक हजार रुपये मात्र) महाविद्यालय सागर की स्वशासी शाखा में 1,000/- (अंकन एक हजार रुपये मात्र) जमा करने की रसीद जो कि अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी (Dean & CEO Bundelkhand Medical College Sagar) के नाम देय हो जमा करना अनिवार्य होगा। रसीद के अभाव में उम्मीदवार स्कूटनी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा। तथा जमा की गई राशि रुपये 1,000/- (अंकन एक हजार रुपये मात्र) किसी भी परिस्थिति में वापिस नहीं की जावेगी। छात्र द्वारा प्रवेश लेने के पश्चात् शेष फीस की राशि 07 (सात) दिवस के अंदर डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाईन माध्यम से जमा कर प्रवेश लेना होगा नही तो उनका प्रवेश निरस्त माना जावेगा। पूर्ण शिक्षण शुल्क जमा करने के पश्चात् ही अभ्यर्थी का प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण मानी जायेगी।

14. सीट आवंटन के पूर्व सभी अभ्यर्थी जिन्हें काउंसिलिंग में भाग लेना है उन्हें महाविद्यालय में स्वयं उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा। डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के उपरांत अभ्यर्थी काउंसिलिंग के लिए पात्र होगा। (प्रारूप क्रमांक-02) म.प्र. शासन के नियमानुसार काउंसिलिंग एवं पाठ्यक्रम प्रवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार की जायेगी-

(क) सभी पाठ्यक्रमों के लिये एक ही आवेदन-पत्र जिसका प्रारूप दिया गया है, देय होगा। पाठ्यक्रमों का आवंटन आवेदक के हायर सेकेण्ड्री (10+2) के मैरिट के अनुसार वर्ग में उपलब्ध सीटों पर काउंसिलिंग के द्वारा किया जावेगा। (प्रारूप क्रमांक-03) काउंसिलिंग की प्रक्रिया म.प्र. शासन के नियमानुसार अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार से प्रारम्भ की जावेगी एवं सीट भरने तक जारी रहेगी। तत्पश्चात् अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित वर्गों की क्रमानुसार काउंसिलिंग प्रक्रिया की जावेगी। काउंसिलिंग के दौरान आवेदक को उसके दावे पर उपलब्ध पाठ्यक्रम पंसद के अनुसार पाठ्यक्रम सीट भरना होगा। आवेदक को एक ही पाठ्यक्रम की सीट आवंटित होगी।

(ख) अभ्यर्थी को काउंसिलिंग द्वारा पाठ्यक्रम आवंटित हो जाने के उपरांत महाविद्यालय के अधिष्ठाता (डीन)/प्राचार्य के समक्ष अधिसूचित सात दिवस के अंदर प्रवेश हेतु रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा, इसके उपरांत ही प्रवेश मान्य होगा। चयनित अभ्यर्थियों को प्रारूप 04 में आवश्यक जानकारी भरकर आवश्यक दस्तावेजों सहित आवंटित महाविद्यालय में निर्धारित दिनांक तथा समय पर उपस्थित होना होगा। प्रवेश प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है।

(ग) प्रथम चक्र में भाग लेने वाले अभ्यर्थी जो पाठ्यक्रम हेतु 14 (क) के अनुसार द्वितीय चक्र में सम्मिलित होना चाहते हैं, उन्हें काउंसिलिंग के द्वितीय चरण में विकल्प चुनने की सुविधा दी जायेगी, यह विकल्प पाठ्यक्रम/विषय संबंधी हो सकेगा।

(घ) द्वितीय स्तर की काउंसिलिंग एवं आवंटन आवेदक के हायर सेकेण्ड्री (10+2) के मैरिट के अनुसार वर्ग में उपलब्ध सीटों पर काउंसिलिंग के द्वारा किया जावेगा। काउंसिलिंग की प्रक्रिया म.प्र. शासन के नियमानुसार अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार से प्रारम्भ की जावेगी एवं सीट भरने तक जारी रहेगी। तत्पश्चात् अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित वर्गों की क्रमानुसार काउंसिलिंग प्रक्रिया की जावेगी। काउंसिलिंग के दौरान आवेदक को उसके दावे पर उपलब्ध पाठ्यक्रम पंसद के अनुसार पाठ्यक्रम सीट भरना होगा। आवेदक को एक ही पाठ्यक्रम की सीट आवंटित होगी। आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को 14 (ख) के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।

15. तृतीय स्तर की काउंसिलिंग एवं आवंटन-

(क) सीट- द्वितीय चरण की काउंसिलिंग के पश्चात् से आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश न लिये जाने की स्थिति में रिक्त सीट, अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश लेने के पश्चात् सीट से त्यागपत्र दिये जाने के फलस्वरूप रिक्त सीट व द्वितीय चरण के पश्चात् रिक्त रह गई सीटों को तृतीय स्तर की काउंसिलिंग एवं आवंटन के लिये सम्मिलित की जायेगी।

(ख) अपात्र अभ्यर्थी-

(एक) ऐसे रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जो कि पूर्व के चरणों की काउंसिलिंग में उनको आवंटित सीट पर प्रवेश लिया है।

(दो) ऐसे रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व के चरणों की काउंसिलिंग में उनको आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लिया है।

(तीन) ऐसे रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व के चरणों की काउंसिलिंग में उनको आवंटित सीट पर प्रवेश लेने के उपरांत त्याग पत्र दिया गया है।


(ग) पात्र अभ्यर्थी-ऐसे रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिन्हें पूर्व के चरणों की काउंसिलिंग में कोई सीट आवंटित नहीं हुई हो एवं आवेदन किया गया है।

(घ) तृतीय स्तर की काउंसिलिंग प्रक्रिया म.प्र. शासन के नियमानुसार अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार से प्रारम्भ की जावेगी एवं सीट भरने तक जारी रहेगी। यदि फिर भी सीटें रिक्त रह जाती हैं तो यह सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों से भरी जावेंगी। द्वितीय स्कूटनी, डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन एवं आवंटन अनुसूचित जाति के उम्मीदवार से प्रारम्भ की जावेगी एवं सीट भरने तक जारी रहेगी। यदि फिर भी सीटें रिक्त रह जाती हैं तो यह सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों से भरी जावेंगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर रिक्त सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों से भरी जावेगी। तत्पश्चात रिक्त सभी सीटें अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से भरी जावेंगी। महिला आवेदक न होने की दशा उन सीटों को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी द्वारा भरी जावेगी। काउंसिलिंग प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख महाविद्यालय की वेबसाईड पर प्रदर्शित की जावेगी। इसकी सूचना अलग से नहीं दी जावेगी। आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को 14 (ख) के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। स्कूटनी, डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन एवं आवंटन का मतलब प्रवेश कदापि नहीं होगा। आवंटन विभिन्न वर्गों में उपलब्ध सीटों के अनुसार मेरिट के आधार पर होगा। प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय की वेबसाईड www.bmcsagar.edu.in पर प्रदर्शित होगी। किसी भी परिस्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि आगे नहीं बढ़ायी जायेगी। आवेदक प्रवेश प्रक्रिया हेतु समय समय पर महाविद्यालय की वेबसाईड www.bmcsagar.edu.in का निरंतर अवलोकन करते रहे।

16. सीएलसी काउंसिलिंग (मॉपअप राउण्ड) तृतीय स्तर की काउंसिलिंग एवं आवंटन के पश्चात् रिक्त रह गई सीटों को मॉपअप राउण्ड के तहत भरी जायेंगी जोकि अभ्यर्थी की ओवर ऑल मेरिट के अनुक्रम में उसके दावे पर उपलब्ध पाठ्यक्रम पसंद के अनुसार होगी। काउंसिलिंग प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख महाविद्यालय की वेबसाईड पर प्रदर्शित की जावेगी। इसकी सूचना अलग से नहीं दी जावेगी। आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को 14 (ख) के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।
17. अभ्यर्थी को काउंसिलिंग द्वारा पाठ्यक्रम आवंटित हो जाने के उपरांत महाविद्यालय के अधिष्ठाता (डीन)/ प्राचार्य के समक्ष अधिसूचित तारीख तथा समय (सात दिवस) के भीतर प्रवेश हेतु रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। इसके उपरांत ही प्रवेश मान्य होगा। चयनित अभ्यर्थियों को प्रारूप 04 में आवश्यक जानकारी भरकर आवश्यक दस्तावेज सहित आवंटित महाविद्यालय में निर्धारित दिनांक तथा समय पर उपस्थित होना होगा। प्रवेश प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है।
18. विज्ञप्ति सीटों की संख्या परिस्थितियों के अनुसार बढ़ाई/घटाई जा सकती है।
19. प्रवेश के समय स्थानान्तरण एवं माइग्रेशन प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करना अनिवार्य होगा। मूल स्थानान्तरण एवं माइग्रेशन प्रमाण-पत्र के अभाव में प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा तथा स्कूटनी के समय जमा राशि रु 1,000/- (एक हजार रुपये) मात्र वापिस नहीं की जावेगी।
20. छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क, नामांकन शुल्क एवं पैरामेडिकल संस्था द्वारा निर्धारित सम्बद्धता शुल्क पृथक से देय करना अनिवार्य होगा।
21. प्रवेश के समय अभिभावक या स्वयं (इनसर्विस) के आय प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जो तहसलीदार द्वारा जारी की गई हो दिखाना अनिवार्य होगा।
22. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय सागर के अंतर्गत पैरामेडिकल पाठ्यक्रम नियमित एवं पूर्णकालिक है। पैरामेडिकल पाठ्यक्रम के शैक्षणिक सत्र के दौरान किसी भी अन्य महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में अध्ययन करने की पात्रता नहीं होगी। इस आशय का शपथ-पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (प्रारूप कमांक-04)

23. प्रवेश के समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज संबंधित महाविद्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा—
- अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से उम्मीदवार की होगी—
- I. एम.पी.ऑनलाईन के आवेदन पत्र की छायाप्रति ।
 - II. स्थानांतरण प्रमाण पत्र मूल प्रति ।
 - III. प्रवर्जन प्रमाण पत्र मूल प्रति ।
 - IV. जाति प्रमाण पत्र मूल प्रति ।
 - V. अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को आय प्रमाण पत्र (वित्तीय वर्ष 2021-2022का) की मूल प्रति ।
 - VI. ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग अभ्यर्थियों को राक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मूल प्रति ।
 - VII. दिव्यांग प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को राक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की छायाप्रति ।
 - VIII. 10 पासपोर्ट साइज फोटो ।
 - IX. विभागीय कर्मचारियों को राक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र मूल प्रति ।
 - X. विभागीय कर्मचारियों के लिये कार्यमुक्त प्रमाण पत्र मूल प्रति ।
 - XI. प्रवेशित अभ्यर्थी अपने मूल दस्तावेजों, हस्ताक्षर, पासपोर्ट साइज फोटो, अंगूठा का निशान का JPEG, JPG, GIF, or PNG (Size 100 to 200 kb) फाईल में स्कैन कर डी.वी.डी बनाकर महाविद्यालय में जमा करना होगा ।
 - XII. गेप सर्टिफिकेट शपथ-पत्र मूल प्रति ।
 - XIII. अर्हकारी हाईस्कूल की अंकसूची मूल प्रति ।।
 - XIV. अर्हकारी हायरसेकेंडरी की अंकसूची (भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान विषय के साथ) की मूल प्रति ।
24. चयनित अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय महाविद्यालय द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होकर स्वास्थ्य उपयुक्ता प्रमाण पत्र लेना होगा किसी भी अभ्यर्थी के स्वास्थ्य उपयुक्ता प्रमाण पत्र में बाधा होने आने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा । (प्रारूप 6)
25. चयनित अभ्यर्थी द्वारा पाठ्यक्रम में प्रवेश उपरांत अन्य पाठ्यक्रमों में परिवर्तन नहीं किया जावेगा । प्रवेशित छात्र अधिष्ठाता एवं संबंधित विभागाध्यक्ष के अनुशासनात्मक नियंत्रण में रहेंगे, यदि छात्र का व्यवहार महाविद्यालय के नियमानुसार नहीं रहता है तो छात्र का प्रवेश किसी भी समय विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर निरस्त कर दिया जा सकेगा ।
26. विद्यार्थियों को कार्डसलिंग प्रक्रिया प्रवेश के समय जमा किये जाने वाले समस्त मूल अभिलेखों को पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक, महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे । (सभी अंकसूची/प्रमाण पत्र आदि समस्त जमा किए जाने वाले अभिलेखों की अलग से 10-10 सेट छायाप्रतियां तथा पी.डी.एफ. फाईल आवेदकों को अपने पास सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि कोर्स अवधि के दौरान कार्यालय में जमा मूल दस्तावेजों को रिकार्ड से कभी भी कोई मूल अथवा छायाप्रति प्रदान नहीं की जायेगी । यदि जमा मार्कसीट/प्रमाणपत्रों की छायाप्रतियां अत्यंत आवश्यकता दर्शाते हुए, किसी विद्यार्थी द्वारा चाही गई तो उसके लिये विद्यार्थी को राशि 100/-रुपये के स्टाम्प जमा करना होगा ।
27. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को म.प्र. शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति की पात्रता होगी, यदि संबंधित विभाग द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की जाती है तो छात्रों को समस्त शुल्क स्वयं वहन करना होगा ।
28. आरक्षित वर्ग के छात्र-छात्रा जिन्हें शासन द्वारा आय के आधार पर छात्रवृत्ति की पात्रता है को एक पाठ्यक्रम के अलावा अन्य पाठ्यक्रमों में दुबारा प्रवेश प्राप्त करने पर पुनः छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी । उन्हें शिक्षण शुल्क वहन करना होगा ।

29. यद्यपि सभी पाठ्यक्रम रोजगारोन्मुखी है, फिर भी महाविद्यालय किसी भी छात्र-छात्रा को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।
30. द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के अभ्यर्थियों को द्वितीय अध्ययन वर्ष हेतु निर्धारित पूर्ण शुल्क महाविद्यालय के सूचनानुसार स्वशासी शाखा में जमा करना अनिवार्य है। विलम्ब की स्थिति में निर्धारित शुल्क के साथ विलम्ब शुल्क भी देय होगा।
31. छात्र-छात्रा द्वारा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के उपरांत अध्ययन वर्ष के दौरान कक्षा में एक भी दिन अध्यापन नहीं किया हो ऐसे छात्र द्वारा प्रवेश निरस्त कराने/पाठ्यक्रम छोड़ने पर शैक्षणिक शुल्क में से 25प्रतिशत का कटौती कर शेष शैक्षणिक शुल्क वापिस किया जावेगा।
32. छात्र-छात्रा द्वारा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के उपरांत अध्ययन वर्ष के दौरान कक्षा में एक भी दिन अध्यापन किया हो ऐसे छात्र द्वारा प्रवेश निरस्त कराने/पाठ्यक्रम छोड़ने पर शैक्षणिक शुल्क 50प्रतिशत का कटौती कर वापिस किया जावेगा।
33. द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में एक वर्ष समाप्त होने पश्चात दूसरे वर्ष का अध्यापन प्रारम्भ करने से पहले यदि छात्र-छात्रा प्रवेश निरस्त कराया जाता है तो छात्र-छात्रा को प्रथम वर्ष का पूर्ण शैक्षणिक शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा एवं द्वितीय वर्ष का शैक्षणिक शुल्क नहीं लिया जायेगा तथा छात्र-छात्रा द्वितीय वर्ष के छः माह के अंदर प्रवेश निरस्त कराता है तो द्वितीय वर्ष का 50प्रतिशत एवं द्वितीय वर्ष के छः माह के पश्चात पूर्ण शैक्षणिक शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।
34. छात्र से आशा की जाती है कि पैरामेडिकल छात्र अपने-अपने वांछित क्षेत्र में ही रहेगा एवं वह महाविद्यालय एवं संबंधित चिकित्सालय में नहीं घूमेंगे एवं हमेशा हल्का नीले रंग का एप्रेन पहनकर रहना अनिवार्य होगा।
35. प्रवेशित छात्र की पैरामेडिकल काउंसिल के नियमानुसार 75प्रतिशत उपस्थिति सैद्धांतिक परीक्षा के लिए एवं 85प्रतिशत उपस्थिति प्रायोगिक परीक्षा के लिए अनिवार्य रहेगी।
36. प्रवेशित छात्र को नोड्यूल प्रमाण पत्र स्वशासी शाखा से प्राप्त करने के पश्चात् ही परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जावेगी। (प्रारूप 7)
37. सभी पैरामेडिकल पाठ्यक्रम पूर्णकालिक है अतः पाठ्यक्रम पूर्ण होने के पूर्व किसी भी परिस्थिति में छात्रों को उनके मूल दस्तावेज प्रदाय नहीं किये जावेगे।
38. बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर की स्वशासी कार्यकारिणीय समिति नये नियम बनाने, वर्तमान नियमों में संशोधन करने एवं सीटों की संख्या परिवर्तन (पाठ्यक्रम जारी रहने के दौरान भी) करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है जो कि प्रवेशित छात्रों के लिए बंधनकारी होगा।
39. न्यायालयीन परिवादों के निराकरण का कार्यक्षेत्र जिला न्यायालय सागर होगा।


 अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय,
 सागर (MP)

प्रारूप क्रमांक 01

पैरामेडिकल पाठ्यक्रम हेतु आवेदन का प्रारूप शैक्षणिक सत्र 2023-2024

प्रति,

अधिष्ठाता एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी,
बुंदेलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय,
सागर (म.प्र.)



डिमाण्ड ड्राफ्ट क्रमांक/रसीद क्रमांक	दिनांक	राशि

1. Name of Candidate in Capital Letter:

आवेदक का नाम स्पष्ट अक्षरों में (हिन्दी में):

2. Sex (F/ M):

3. Category (श्रेणी): SC/ST/OBC/UR

4. Name Of Father In Capital Letter :Mr..... (V प्रकार) । पिता का (ई) जिल्ला

पिता का नाम (हिन्दी में): श्री

पिता का व्यवसाय: वार्षिक आय:

पिता का फोन/मोबाईल नं.

5. Name Of Mother In Capital Letter :Smt.

माता का नाम (हिन्दी में): श्री

माता का व्यवसाय: वार्षिक आय:

6. जन्म तिथि (Date Of Birth): अंकों में — (dd/mm /yyyy)

शब्दों में—

7. Permanent Full Address In Capital Letter :

.....Pin Code.....

पूर्ण स्थाई पता (हिन्दी में):

पिन कोड:-

8. वर्तमान पता पिन कोड सहित :

9. आवेदक का मोबाइल नम्बर : (1) (2)

आवेदक की ई-आई.डी. : आवेदक के पिता का मोबाइल नं.:

10. आवेदक का आधार कार्ड नं. :

आधार कार्ड नं. (पिता): (माता):

11. विवाहित स्थिति :- विवाहित/अविवाहित. विवाह का दिनांक

12. बच्चों की संख्या.....क्या द्वितीय बच्चा जुड़वा है - हाँ/नहीं

13. क्या आवेदक म.प्र. का मूल निवासी है:(हां/नहीं)

14. क्या आवेदक शासकीय सेवारत कर्मचारी है :(हां/नहीं)

15. शैक्षणिक योग्यता (Educational Qualification):-

Exam Passed	Board	Roll No.	Passing Year	Subjects	Total Marks	Out of Marks	Percentage
1	2	3	4	5	6	7	8
10th							
12th				Biology			
				Total (All Subject)			

दिनांकसमय..... अर्थी के हस्ता. नाम.....

मोबाईल नं.....

प्रारूप क्रमांक-2

प्रमाण-पत्र/अभिलेखों की स्कूटनी, संबंधी प्रोफार्मा

बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर के पेरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु भाग-अ (अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन-पत्र में दी गई समस्त जानकारी एवं संलग्न दस्तावेज पूर्णतः सत्य है। सत्यापन पश्चात् दी गई जानकारी एवं दस्तावेज असत्य पाए जाने पर मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही इस संस्था में प्रवेश के पश्चात् अन्य किसी संस्था/विश्वविद्यालय में किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लूंगा और ना ही अध्ययन करूंगा और ना ही अन्य संस्था से शासन द्वारा किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता का लाभ प्राप्त करूंगा। यदि मेरे द्वारा ऐसा किया जाता है, तो मेरे खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है एवं प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा, जिसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा। मैं नियमों में दिये गये उपबंधों के अधीन काउंसिलिंग में भाग ले रहा/रही हूँ।

मैं आवंटन के अनुक्रम में प्रवेश हेतु मूल प्रमाणपत्र/ अभिलेख प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ :-

1. पूरा नाम
2. माता/पिता/पति/अभिभावक का पूरा नाम
3. पूरा पता
4. श्रेणी (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/
अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ई.डब्ल्यू.एस)/सेवारत
5. प्रवर्ग-(सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी, दिव्यांग)
6. अभ्यर्थी का मोबाईल फोन नं. एवं ई-मेल आई.डी.नं.
7. पिता का मोबाईल नं.
8. आवेदन क्र० एवं आवंटित पाठ्यक्रम का नाम
9. वरीयता क्र० (Rank NO. In Service/E.W.S./UR/SC/ST/OBC/OPH)

मूल प्रमाण पत्र/अभिलेख जो प्रस्तुत कर रहे हैं उनके सामने सही (✓) का चिन्ह लगायें

1. एम.पी. ऑनलाईन के आवेदन की छायाप्रति ।
2. 1000/- की रसीद की छायाप्रति ।
3. हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की अंकसूची ।
4. हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की अंकसूची ।
5. अंतिम वर्ष उत्तीर्ण अंकसूची ।
6. आयु प्रमाण के लिए हाई स्कूल, अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रमाण पत्र/अंकसूची की मूल प्रति जिसमें आयु का उल्लेख हो ।
7. आधार कार्ड की फोटोकॉपी ।
8. स्थानांतरण प्रमाण पत्र ।
9. प्रवर्जन प्रमाण पत्र ।
10. मध्यप्रदेश का मूल निवासी/स्थानीय निवासी होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र । अभ्यर्थी के व्यस्क न होने की दशा में उसके माता/पिता के मूल निवासी प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी का नाम अंकित हो ।
11. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्यप्रदेश राज्य में आरक्षित श्रेणी (जाति प्रमाण-पत्र) का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र ।
12. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई. डब्ल्यू. एस.) के अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश राज्य शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा वर्तमान वर्ष में जारी किया गया प्रमाण पत्र ।
13. वर्तमान वर्ष का तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र अथवा अभ्यर्थी द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र (अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों में कीमी/नॉनकीमी लेयर के निर्धारण हेतु)
14. दिव्यांग प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र ।
15. विभागीय कर्मचारियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र ।
16. गेप सर्टिफिकेट शपथ-पत्र ।

अभ्यर्थी के हस्ता.

नाम.....

स्थान.....

दिनांक समय.....

(कार्यालयीन उपयोग हेतु)

1. पूरा नाम
2. माता/पिता/पति/अभिभावक का पूरा नाम
3. पूरा पता
4. श्रेणी (अनारक्षित/अनुरूचित जाति/अनुरूचित जनजाति/
अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ई.डब्ल्यू.एस)/रोवास्त
5. प्रवर्ग-(सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी, दिव्यांग)
6. अभ्यर्थी का मोबाईल फोन नं. एवं ई-मेल आई.डी.नं.
7. पिता का मोबाईल नं.
8. आवेदन क्र० एवं आवंटित पाठ्यक्रम का नाम
9. वरीयता क्र० (Rank NO. In Service/E.W.S./UR/SC/ST/OBC/PII)

सरल क्र. 01 से 16 में उल्लेखित संबंधित अभ्यर्थी के दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरांत पैरामेडिकल पाठ्यक्रम की स्कूटनी हेतु पात्र हैं।

अथवा

निम्नलिखित दस्तावेजों के अभाव में अपात्र घोषित किये जाते हैं:-

1.
2.
3.
4.

हस्ताक्षर परीक्षण समिति :-

1.

2.

3.

प्रारूप कर्मांक-03

अभ्यर्थी के लिए
चिकित्सीय महाविद्यालय/संस्थान के अधीन पैरामेडिकल सीट की स्वीकृति/अस्वीकृति कार्य

काउंसिलिंग का स्थान-.....
में..... पुत्र/पुत्री.....
पता.....
आवेदन कं..... ने बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर के पैरामेडिकल
पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु वरीयता कर्मांक सेवारत/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/अना./अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.
व/दिवांग..... प्राप्त किया है ।

1. क. मैं उपयुक्त नामित पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए चिकित्सा महाविद्यालय सागर में
अपनी वरीयता स्थान पर उपलब्ध सीटों में से (विषय)..... (विषय
कोड.....) आरक्षण बिन्दु कर्मांक..... पर एक सीट का चयन करता/करती हूँ।*

अथवा

ख. मैं द्वितीय/अगली काउंसिलिंग में अपने दावे को बरकरार रखता हूँ ।*

अथवा

ग. मैं उपयुक्त नामित बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर में अपने वरीयता स्थान पर उपलब्ध
सीट को अस्वीकृत करते हुये अपने दावे का त्याग करता/करती हूँ ।*

2. मैं इससे अवगत हूँ कि

(क) मेरे द्वारा चयनित महाविद्यालय/संस्थान में पैरामेडिकल पाठ्यक्रम की सीट मध्यप्रदेश पैरामेडिकल
काउंसिल से अनुमोदित/अनुमति प्राप्त है ।

(ख) वजीफा/सत्र की शुरुआत/शुल्क एवं अन्य प्रगारी की जमा की वापसी/ बॉन्ड के निष्पादन/
ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में सेवा/अपेक्षित दस्तावेज यदि कोई है की प्रस्तुति आदि के संबंध में सभी शर्तें संबंधित
महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के नियमानुसार ही होगा ।

3. मैंने सभी सूचनाएं/नियम आदि को पढ़ लिया है ।

स्थान.....

दिनांक समय.....

अभ्यर्थी के हस्ता.

नाम.....

Rank NO. In Service/E.W.S./UR/SC/ST/OBC/OPH.....

* जो लागू न हो उसे काट दे ।

नोट— मूल आवंटन पत्र स्वागत कक्ष से सत्र विशेष के समापन पर काउंसिलिंग के दिन ही इस फार्म का
फोटोकॉपी, वरीयता पत्र तथा उपस्थिति कार्य के प्रस्तुत करने बाद उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसने काउंसिलिंग
में भाग लिया है ।

प्रारूप क्रमांक-04
// घोषणा-पत्र //

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नि..... बुन्देलखण्ड
चिकित्सा महाविद्यालय सागर में पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के
समय एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन-पत्र में दी गई समस्त जानकारी एवं संलग्न दस्तावेज पूर्णतः
सत्य है। सत्यापन पश्चात् दी गई जानकारी एवं दस्तावेज असत्य पाए जाने पर मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा
तथा मेरे खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही इस संस्था में प्रवेश के पश्चात् अन्य किसी
संस्था/विश्वविद्यालय में किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लूंगा और ना ही अध्ययन करूंगा और ना ही अन्य संस्था से
शासन द्वारा किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता का लाभ प्राप्त करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं किसी भी
ऐसे कार्य में लिप्त नहीं होगा/होगी जिससे की बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर की छवि खराब हो। मैं
शपथ लेता/लेती हूँ कि मैं सिद्धांतिक एवं प्रायोगिक कक्षा में नियमित रहूंगा/रहूंगी और किसी भी गैरअनुशासनात्मक
कार्य जैसे कि रेगिंग, बहस, लड़ाई इत्यादि में भाग नहीं लूंगा/लूंगी। यदि मेरे द्वारा ऐसा किया जाता है, तो मेरे
खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है एवं प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा, जिसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी
होऊंगा। उक्त पाठ्यक्रम हेतु निम्नलिखित दस्तावेज जमा किये जा रहे हैं:-

क्र.	दस्तावेज	हां/नहीं/लागू नहीं (अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण किया जावे)
1	शेष फीस की राशि की रसीद की छायाप्रति।	
2	सीट आवंटन पत्र की छायाप्रति।	
3	आधार कार्ड की छायाप्रति।	
4	10वीं बोर्ड परीक्षा की मूल अंकसूची / जन्म प्रमाण पत्र	
5	12 वीं बोर्ड परीक्षा मूल अंकसूची।	
6	अंतिम वर्ष अंकसूची की मूल प्रति। / गैप सर्टिफिकेट शपथ पत्र।	
7	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी म.प्र. के मूल/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की मूल प्रति।	
8	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र/ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाणपत्र की मूल प्रति। (आरक्षित संवर्ग हेतु)	
9	वर्ष 2024/2025 में जारी आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति (आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु)	
10	विकलांग/ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाण पत्र की मूल प्रति।	
11	प्रर्वजन प्रमाण पत्र की मूल प्रति।	
12	स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति।	
13	10 पासपोर्ट साईज फोटो।	
14	ALL DOCUMENT (D.V.D.) JPEG, JPG, GIF, or PNG (Size 200 to 220 kb)	
15	मूल नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/कार्यमुक्त प्रमाण पत्र (सेवारत अभ्यर्थी हेतु)	

आवेदक के हस्ताक्षर/नाम/पता अविभाक्क के हस्ताक्षर/नाम/पता गवाह के हस्ताक्षर/नाम/पतादिनांक:-
स्थान:-

प्रारूप क्रमांक-05

GOVT. BUNDELKHAND MEDICAL COLLEGE SAGAR (M.P.)

S.NO. /Para.Sec./2025 Sagar, Date / /2025

This is certify that Mr./Ms.....
Father Name.....ApplicationNo.....
is admitted in.....Paramedical Coures in this College through
on Date.....2021 and the following Original Documents are with the College
authority.

S.No.	NAME OF DOCUMENT	ORIGINAL (YES/NO)
1	Allotment Letter (1 Copy)	
2	10th Mark Sheet & Certificate (Date of Birth)	
3	12 th Mark Sheet (Subjects)	
4	Last year passing Mark Sheet	
5	Domicile Certificate	
6	Cast Certificate (SC/ST/OBC)	
7	Parents Annual Income Certificate	
8	Migration Certificate	
9	Transfer Certificate	
10	PH/EWS Certificate	
11	Aadhar Card (Coloured 01 Copy)	
12	10 Pass Port Size Photo	
13	Gap Certificate	
14	ALL DOCUMENT (CD/D.V.D.) JPEG, JPG, GIF, or PNG (Size 200 to 220 kb)	
15	Decleration Form No. 04	

Signature Of Student/Name

Father Name and Mo.No.

MEDICAL CHECK UP PROFORMA (2023-2024)

STUDENT NAME -----APP. NO.....

FATHER'S NAME.....

COURSE NAME.....

SURGERY SIGNATURE.....

ORTHOPEDIC SIGNATURE.....

E . N . T . SIGNATURE.....

GYNAECOLOGY SIGNATURE.....

OPHTHALMOLOGY

Visual Acuity

Colour Vision SIGNATURE.....

PATHOLOGY

Blood Group

Routine

Urine SIGNATURE.....

Microscopic

MEDICINE

Final Remark by Medicine department Fit/Unfit

.....SIGNATURE.....



NO DUES CERTIFICATE

बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर के पैरामेडिकल डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों का प्रवेश निरस्त/स्थानान्तरण/मूल दस्तावेज प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित प्रारूप में **NO DUES CERTIFICATE** की पूर्ति करना आवश्यक है:-

> नाम.....पिता का नाम.....

> पाठ्यक्रम डिप्लोमा का नाम.....सत्र

1.विभाग.....हस्ताक्षर/सील

2. एनाटॉमी विभाग.....हस्ताक्षर/सील

3. बायोकेमिस्ट्री विभाग.....हस्ताक्षर/सील

4. फिजियोलॉजी विभाग.....हस्ताक्षर/सील

5. माईक्रोबायोलॉजी विभाग.....हस्ताक्षर/सील

6. केन्द्रीय पुस्तकालय.....हस्ताक्षर/सील

7. स्वशासी शाखा.....हस्ताक्षर/सील

8. छात्रवृत्ति शाखा.....हस्ताक्षर/सील

अधिष्ठाता
बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय
सागर म.प्र.

प्रारूप क्रमांक-08

कार्यालय अधिष्ठाता

शासकीय बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, तिली रोड, सागर (म.प्र.) -470001

वेबसाइट- www.bmcsagar.edu.in

ई-मेल- deansmc08@yahoo.co.in



फोन नं. 07982-236270

फैक्स नं. 07982-236457

क्रमांक...../पैरामे./

सागर, दिनांक / /

स्थानांतरण प्रमाण -पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि.....

आत्मज श्री.....माता का नाम.....

पैरामेडिकल काउंसिल/विश्वविद्यालय नामांकन क्रमांक.....

वर्ग.....इस महाविद्यालय में सत्र.....दिनांक.

.....से दिनांक.....तक डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम.....

.....का अध्ययन करता रहा/करती रही है। इस महाविद्यालय में छात्र का

शैक्षणिक शुल्क पूर्ण/अपूर्ण जमा है।

वह सत्रकीपरीक्षा उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण करने के पश्चात या
.परीक्षा में सम्मिलित हुआ/हुई या परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ/हुई एवंअंक से
उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण होने पर महाविद्यालय छोड़ रहा/रही है।

उसका आचरण जहां तक ज्ञात हैथा।

दिनांक :

स्थान : सागर म.प्र.

अधिष्ठाता
बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय
सागर म.प्र.